-प्रेस नोट-

जनपद मुजफ्फरनगर

दिनांक 26.08.2025

❖**थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-**

दिनांक 26.08.2025 को थाना कोतवाली नगर पर नियुक्त उ0नि0 श्री दीपक मावी मय हमराहीगण द्वारा वाद सं0 4850/9/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में वारण्टी अभियुक्त मौ0 फिरौज पुत्र अनीस निवासी गली नं0 18 लद्दावाला थाना कोतवालीनगर मु0नगर को मिमलाना रोड से गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 26.08.2025 को थाना कोतवाली नगर पर नियुक्त उ0नि0 श्री दीपक मावी मय हमराहीगण द्वारा वाद सं0-4846/9/22 अप0स0 301/22 धारा ¾ गेंगस्टर एक्ट में वारण्टी अभियुक्त बोबी पुत्र तिलकरा नि0 रामलीला टीला थाना को0नगर मु0नगर को अभियुक्त के मसकन से गिरफ्तार किया गया।

❖**थाना रामराज पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-**

दिनांक 26.08.2025 को थाना रामराज पर नियुक्त उ0नि0 श्री दिनेश कुमार मय हमराहिगण द्वारा मु0अ0स0 28/25 धारा 109(1),115(2),191(2),351(3),352 बीएनएस में वांछित अभियुक्त हेम सिंह पुत्र रनवीर सिंह निवासी कैलापुर जसमौर थाना मीरापुर मुजफ्फरनगर को बीआईटी तिराहे से गिरफ्ता किया गया।

❖**थाना मीरापुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार-**

दिनांक 26.08.2025 को थाना मीरापुर पर नियुक्त उ0नि0 श्री आनंद कुमार मय हमराहीगण द्वारा साहिल पुत्र इरफान अन्सारी निवासी ग्राम बलीपुरा थाना मीरापुर मु0नगर को ग्राम गढी से सम्भलहेडा जाने वाले रास्ते पर मुर्गी फार्म के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कार0 315 बोर बरामद किये गये। जिसके सम्बन्ध में थाना मीरापुर पर मु0अ0स0 172/25 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 पंजीकृत किया गया।

❖**थाना ककरौली पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-**

दिनांक 26.08.2028 को थाना ककरौली पर नियुक्त उ0नि0 श्री शिवचरन तोमर मय हमराहिगण द्वारा मु0अ0स0 124/25 धारा 87,137(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त श्रवण पुत्र स्व0 जयपाल निवासी ग्राम व थाना ककरौली, मुजफ्फरनगर को ककरौली रजवाहे की पुलिया से गिरफ्तार किया गया।

❖**थाना खालापार पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-**

दिनांक 26.08.2025 को थाना खालापार पर नियुक्त उ0नि0 श्री पिंकू सिंह मय हमराहिगण द्वारा वाद संख्या 220/11/24 धारा 128 सीआरपीसी व वाद संख्या 282/11/25 धारा 147 बीएनएस में वारण्टी अभियुक्त शादाब पुत्र शहजाद निवासी करीमनगर थाना खालापार मुजफ्फरनगर को मसकन से गिरफ्तार किया गया।

❖ **थाना शाहपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-**

दिनांक 26.08.2025 को थाना शाहपुर पुलिस द्वारा वाद संख्या – 1015/2019 धारा 3/25 आर्मस एक्ट मे वारण्टी अभियुक्त आफताब उर्फ बुगला पुत्र अलीहसन निवासी ग्राम तावली थाना शाहपुर जिला मु0नगर व वाद संख्या – 3537/9/16 धारा 60 आबकारी अधिनियम में वारण्टी अभियुक्त कपिल पुत्र मोहन पाल निवासी ग्राम मन्धेड़ा थाना शाहपुर जिला मु0नगर को अभियुक्तगण के मसकन से गिरफ्तार किया गया।

❖ **थाना शाहपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-**

दिनांक 26.08.2025 को थाना शाहपुर पर नियुक्त उ0नि0 श्री हरिओम मय हमराहिगण द्वारा मु0अ0स0- 243/2025 धारा - 74/331(5)/351(3) बीएनएस व 7/8 पोक्सो अधि0 में वांछित अभियुक्त अंकुश पुत्र कोमल निवासी ग्राम कुटबी थाना शाहपुर जनपद मु0नगर को रजवाहा पटरी कुटबा रोड से गिरफ्तार किया गया।

❖ **थाना मीरापुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार-**

दिनांक 25.08.2025 को थाना मीरापुर पर नियुक्त उ0नि0 श्री आनन्द कुमार मय हमराहिगण द्वारा मु0अ0सं0 169/25 धारा 318(4) /303(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त शाहनवाज उर्फ परवेज पुत्र हनीफ नि0 ग्राम नानपुर थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड हाल पता केतापुरी थाना कोतवाली जनपद बागपत को मुन्तजिर कालोनी की ओर जाने वाले रास्ते पर बिजनौर रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से उपरोक्त से 80,000/- रुपये नगद, 02 आधार कार्ड जिसमें एक फर्जी आधार कार्ड, एक अदद मोबाइल OPPO रंग काला बरामद किये गये जिसके सम्बन्ध में उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2),336(3),340(2) बी.एन.एस की बढोत्तरी की गयी ।

❖ **फर्जी कॉल सैन्टर में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगो का डॉटा ऑनलाईन प्राप्त कर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 02 शातिर अभियुक्तगण को थाना खालापार पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से विभिन्न कम्पनियों के सिम, लैपटॉप, फर्जी प्रपत्र, क्यूआर कोड आदि बरामद।**

दिनांक 25.08.2025 को थाना खालापार पर नियुक्त उ0नि0 लोकेश कुमार गौतम मय हमराहिगण द्वारा फर्जी कॉल सैन्टर में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगो का डॉटा ऑनलाईन प्राप्त कर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अभियुक्तगण 1. आहद पुत्र वसीम अहमद निवासी म0न0 854/103 अम्बा विहार थाना खालापार, मुजफ्फरनगर 2.

जुबेर पुत्र गुलजार अहमद निवासी म0न0 922 सरवट थाना सिविल लाइन, मुजफ्फरनगर को मेरठ रोड पर जेड0के0 काम्पलेक्स बिल्डिंग में स्काई लाईन के नाम से एक फर्जी कॉल सेन्टर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 15 जियो सिम के रेपर, 08 सिम जियो कम्पनी, 01 सिम एयरटेल कम्पनी, 04 आईडी कार्ड अलर्ट फैसिलिटी सर्विस अलग अलग नाम से, 03 EXTENSIVE SERVICES के लैटर, SKYLINE GROUP OF INDUSTRIES के 45 विजिटिंग कार्ड , AGREEMENT FOR RECRUITMENT SERVICES के दस्तावेज कुल 05 वर्क, 06 अदद मोहर भिन्न-भिन्न नामो की, 17 रजिस्ट्रर कॉँलिंग हिस्ट्री, 02 बहीखाता रजिस्ट्रर 03 लेपटाप भिन्न-भिन्न कम्पनियो के, 20 अदद मोबाईल भिन्न-भिन्न कम्पनियों के , 02 क्यूआरकोड, 02 अदद सर्टीफिकेट जडे हुए बरामद किये गये।

❖ **<u>थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग का सफल अनावरण, 02 हत्यारे अभियुक्त गिरफ्तार।गिरफ्तार अभियुक्तगण के निशांदेही से मृतक की मोटरसाइकिल को फ्लड यूनिट व गोताखोरो की मदद से खतौली गंग नहर से बरामद किया तथा घटना में प्रयुक्त 01 स्कोर्पियों कार को भी बरामद किया गया।</u>**

दिनांक 26.08.2025 को थाना नई मण्डी प्र0नि0 श्री दिनेश चन्द्र मय उ0नि0 श्री संजय सिंह मय हमराहिगण द्वारा मु0अ0सं0 410/25 धारा 140(1) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तगण 1. प्रिन्स शर्मा पुत्र मोहन शर्मा निवासी बच्चन सिंह कालोनी थाना नई मण्डी, मुजफ्फरनगर 2. सौरभ राणा पुत्र बिजेन्द्र राणा निवासी अवधविहार थाना नई मण्डी, मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 22.08.2025 को वादी श्री अंकित मोहन शर्मा पुत्र रामशरण शर्मा निवासी कूकडा थाना नई मण्डी, मुजफ्फरनगर द्वारा थाना नई मण्डी पुलिस को लिखित तहरीर देकर अवगत कराया कि प्रिन्स शर्मा पुत्र संजीव शर्मा निवासी बच्चन सिंह कालोनी थाना नई मण्डी, मुजफ्फरनगर उनके भाई निखिल मोहन शर्मा को घर बुलाकर ले गया है, मेरा भाई अपनी स्पलैण्डर मोटर साईकिल नम्बर यूपी 12 बीए 0123 से प्रिन्स उपरोक्त के साथ गया था परन्तु घर वापस नही आया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 410/25 धारा 140(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा उच्चाधिकारीगण के निर्देशन पर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु थाना नई मण्डी पर पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 25.08.2025 को अभियुक्त प्रिन्स उपरोक्त को कूकडी रोड पर टयूवबैल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से पूछताछ व साक्ष्य संकलन के दौरान दो अन्य अभियुक्त सौरभ राणा व रोहित बालियान का नाम प्रकाश में आया। पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त सौरभ राणा को दिनांक 26.08.2025 को एटूजेड रोड से सहावली जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उन्होने निखिल मोहन शर्मा की हत्या कर दी है तथा शव को व मृतक की मोटरसाइकिल को गंगनहर खतौली में डाल दिया है। फ्लड यूनिट व गोताखोरो की मदद से नई मण्डी पुलिस द्वारा मृतक की मोटरसाइकिल को खतौली गंग नहर से बरामद किया तथा घटना में प्रयुक्त 01 स्कोर्पियो कार को अभियु ुक्तगण के कब्जे से बरामद

किया गया। अभियुक्तगण द्वारा हत्या करने व शव व मोटरसाइकिल को गंगनहर में डालने की घटना को स्वीकार किया गया है। मृतक के शव की बरामदगी हेतु फ्लड यूनिट, गौताखोरों व थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे है। साथ ही फरार अभियुक्त रोहित बालियान की गिरफ्तारी हेतु भी टीमें गठित है।